98-72

135

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

पोर्ट ब्लेयर, 9 अप्रैल, 1984.

अ धि सू च ना

सं0 /फा.सं01-324/82 -टी.डब्ल्यू । अण्डमान एंड निकोबार आइलैंड्स ((प्रोटेक्शन आॅफ एबोरेजि[illegible] ट्राइब्स)) रेग्युलेशन, 1956 ((1956 का विनियम सं 3) की धारा 3 की उपधारा ((1)) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ((प्रशासक)) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा दिनांक 19 जुलाई 1979 की अधिसूचना सं0107/79 फा0सं040-243/78 टी डब्ल्यू जो दिनांक 19.7.1979 को अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र सं0107/79 में छपी थी, निम्नलिखित संशोधन करते हैं ।

संशोधन

उक्त अधिसूचना के शीर्ष "दक्षिण अण्डमान के ((अधीनस्थ अनुच्छेद के बाद निम्नलिखित को समाविष्ट किया जाएगा :-

"अण्डमान ट्रंक रोड की पूर्वी दिशा में वह सम्पूर्ण क्षेत्र जो पोटाटांग क्रीक से अण्डमान ट्रंक रोड के 110 किलो मीटर तक पूर्वी दिशा के समुद्र तक विस्तृत है

आदेश से

सहायक आयुक्त ((जनजाति कल्याण))

2/-